

आवेदन-पत्र

नलकूप के निम्न विधुत कनेक्शन के लिये

प्रश्न में



जिला मजस्ट्रेट

डुमौरा

नाम श्री मनी शर्मा

पिता का नाम श्री विप्रास

ग्राम रमना पोस्ट कुरुवा

ब्लाक मोरवा जिला डुमौरा

रेजिस्ट्री की शक्ति की मात्रा जिसके लिए

आवेदन पत्र दिया जा रहा है

स्थान जहाँ कनेक्शन अपेक्षित है

ग्राम रमना पोस्ट रमना

ब्लाक मोरवा

प्राथमिकी का एकडी में यह क्षेत्र जिसकी नलकूप

सुधु कनेक्शन टाकी नए सख्या स्थिति आदिका पूरा विवरण)

या उस क्षेत्र की सिचाई किसी साधन पक्के

कनेक्शन से जो जा सकती है।

अथवा उस क्षेत्र की सिचाई किन सधनों से की जाता थो।

या उस क्षेत्र की सिचाई कबो नहीं किया जाता।

या इस क्षेत्र की सिचाई पूर्णतः किसी राजकीय

नलकूपया नहर द्वारा सिंचे जाने वाले क्षेत्र

(रमना) के अन्तर्गत आता है ?

यदि नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गई है और

पम्प तथा माटर लगा दिये गये है ?

प्राथमिकी क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप

प्राथमिकी नहर को बीच की दूरी

या नलकूप की गहराई से निकटतम स्वयं की

बोरी की दूरी

या नलकूप प्रभाव नलकी (खुदाई) की लम्बाई

बोरी की (खुदाई) गहराई सीत की सतह पहले उपज पानी फूटने की सतह की गहराई और पानी

निकालने का परिणाम प्रति ध्मा नैजना है।

प्राथमिकी की ज म तिथि

दिनांक 08/06/2023

10HP

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

रमना

महेश्वर, उपरीकट विठ मोदी 11102111
Kumhar Suresh
Jai Ramesh Parmar

प्राथमिकी के हस्ताक्षर एवं पूरा पता
नाम श्री मनी शर्मा
ग्राम रमना पोस्ट कुरुवा
ब्लाक मोरवा जिला डुमौरा



F.I.O. TO EEW
TCS
SD

(1)

अ० शा० पत्रांक 1832/38 के दिनांक 4-3-68 के अन्तर्गत

(यदि 5 हास पावर में अधिक लोड की आवश्यकता है)

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के पास एकड़ भूमि है। जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है।

JE (MI)
Block- Maudaha
Hamirpur

खण्ड विकास अधिकारी
मौदहा (हमीरपुर)
श. व्य. - मौदहा

(2)

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना कुआ बन्द कर लिया है और उनकी विद्युत पांग उचित है।

(3)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप 25 मीटर चौड़ी नहर से 200 मीटर दूर है 25 मीटर चौड़ी नहर 100 मीटर दूर है।

JE (MI)
Block- Maudaha
Hamirpur

खण्ड विकास अधिकारी
मौदहा (हमीरपुर)
श. व्य. - मौदहा

(4)

संख्या 260[1] एफ०टी० 23 आई०ई० सी० दिनांक 22-2-68 के अन्तर्गत

JE (MI)
Block- Maudaha
Hamirpur

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रस्तावित नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता, तथा इस विभाग को प्रार्थी के नलकूप को कनेक्शन देने में अपत्ति नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी
मौदहा (हमीरपुर)
श. व्य. - मौदहा

सहोदय

खण्ड की मंत्री भगिनी दा/० शिवराम निवासी पत्रांक 1832/38 के अन्तर्गत
ने अपनी बेसिन बंधू सिपाई विभाग द्वारा मासिक बेसिन ठीक कर/को
के विद्युत कनेक्शन को संरक्षित को पत्रांक 1832/38 के अन्तर्गत
सिपाई सेवा में प्रेषित है।

Block Development Officer
Maudaha (Hamirpur)
03/06/2023

कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई हमीरपुर।

पत्रांक 188 / ल0सि0 / स्था0 / म0ग0बो0 / 2022-23 दिनांक 30-5-2023

बरीयता क्रमांक-

सफल बोरिंग प्रमाण पत्र/सह परामर्श पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भगिया पत्नि स्व0 श्री शिवराम ग्राम किशनपुर रमना विकास खण्ड मौदहा जनपद हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में लघु सिंचाई विभाग जनपद हमीरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनके द्वारा प्रस्तुत खतौनी के आधार पर खेत जिसका खसरा नम्बर 93 है। में मध्यम गहरी बोरिंग की गयी है जो कि सफल है। बोरिंग बिकसन के दौरान 6000 गैलन/घन्टा का डिस्चार्ज प्राप्त हुआ है। भूजल स्तर के आधार पर 7.5 एच0पी0 एवं 04 स्टेज का पम्प स्थापित करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि कम्प्रेसर चलने के दिनांक से (6) माह के अन्दर पम्पहाउस का निर्माण कर बोरिंग को उर्जीकृत कराते हुये पम्प सेट की स्थापना कराकर उसका उपयोग करना प्रारम्भ कर दें।

अन्यथा की दशा में उसके बाद लघु सिंचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसके लिये पूर्ण उत्तरदायी आप स्वयं होंगे।



अवरअभियन्ता(ल0सि0)
जनपद-हमीरपुर।



सहायक अभियन्ता(ल0सि0)
जनपद-हमीरपुर।

पत्रांक / तद दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सम्बन्धित कृषक।

2-सम्बन्धित अवर अभियन्ता।

सहायक अभियन्ता(ल0सि0)
जनपद-हमीरपुर।